आदेश

16.04.2026

सिकंदरा थाना काण्ड संख्या–203/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3), 87 दोनों सपठित धारा 3(5) से संबंधित है, की अभियुक्ता **प्रमिला देवी** उम्र लगभग 50 वर्ष, पति नरेश गोस्वामी, निवासी ग्राम–नावाडीह, थाना–खैरा, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक इंद्रदेव गिरी पिता–स्व0 चुटर गोस्वामी द्वारा थानाध्यक्ष सिकंदरा थाना को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि उसकी छोटी बेटी की शादी थी। इस शादी में शामिल होने उसकी बड़ी पुत्री सुषमा कुमारी अपनी पुत्री के साथ आयी थी। शादी हो जाने के बाद दिनांक–08.06.2025 को सुबह 8 बजे उसकी बड़ी पुत्री सुषमा अपनी पुत्री के साथ गांव के राजीव गोस्वामी की मोटर साईकिल में बैठकर विदा हुई किंतु उसकी पुत्री सुषमा अपने ससुराल नहीं पहुंची तब उसने अगल बगल से पता किया लेकिन उसकी बेटी का पता नहीं चला। जब वह अपनी पुत्री के बारे में राजीव गोस्वामी के घर पूछने गये तो पंकज गोस्वामी एवं पिंकी ने गाली गलौज किया। दिनांक–09.06.2025 को समय करीब सुबह 8 बजे हमको डर लग रहा है कि उसकी बेटी एवं नतनी के साथ कोई अप्रिय घटना न कर दे। राजीव के मोबाईल 7857842737 है, जो स्विच ऑफ बता रहा है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम इस वाद में सुषमा कुमारी के सस्वीकृति बयान में आया है, जो कि बिल्कुल झूठा एवं मनगढंत है। आवेदक अभियुक्त को इस मामले में ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता हे कि कांड के सूचक की पुत्री एवं उसकी नतनी के अपहरण का आरोप अन्य अभियुक्त राजीव गोस्वामी

पर है। आवेदक अभियुक्ता प्रमिला देवी राजीव गोस्वामी की नानी है तथा प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त नहीं है। कांड दैनिकी के पैरा–16 में कथित अपहृता के बयान के अनुसार राजीव गोस्वामी कथित अपहृता को आवेदक अभियुक्ता प्रमिला देवी के घर ले गया। इस मामले के सह अभियुक्तों को जमानत प्रदान की जा चुकी है। मेरे विचार से प्राथमिकी के अनुसार अपहरण का आरोप राजीव गोस्वामी पर है तथा आवेदक अभियुक्ता राजीव गोस्वामी की नानी हैं। अतः मेरे विचार से आवेदक अभियुक्ता, जो प्रमुख अभियुक्त राजीव गोस्वामी की नानी है, को जमानत से इंकार करना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्ता की ओर से दस हजार के दो प्रतिभूओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।

प्रति–विद्वान न्यायालय श्री मृणाल आर्यण न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमुई को आवश्यक सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।